अष्टादश

बिहार विधान सभा

द्वितीय सत्र

अल्पसूचित प्रश्न

वर्ग-2

मंगलवार, तिथि 28 माघ, 1947 (श०)
17 फरवरी, 2026 (ई०)

प्रश्नों की कुल संख्या 10

(1)	शिक्षा विभाग - -	08
(2)	पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग - -	01
(3)	युवा, रोजगार एवं कौशल विकास विभाग - -	01
	कुल योग --	10

वेतन एवं अन्य सुविधा देना

38. श्री अजय कुमार (क्षेत्र संख्या-138 विभूतिपुर)--स्थानीय हिन्दी दैनिक समाचार-पत्र में दिनांक 18 जनवरी, 2026 के अंक में प्रकाशित शीर्षक "नियोजित से राज्य कर्मी बने 12000 शिक्षकों को शहरी एच0आर0ए0 नहीं" के आलोक में क्या मंत्री, शिक्षा विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि--

(1) क्या यह बात सही है कि राज्य में नियोजित से विशिष्ट शिक्षक बने हजारों शिक्षकों को शहरी क्षेत्र के एच0आर0ए0 का लाभ नहीं मिल रहा है, जबकि बिहार गजट में शहरी क्षेत्र में 10 प्रतिशत और ग्रामीण क्षेत्र में 5 प्रतिशत से 7.5 प्रतिशत एच0आर0ए0 देने का प्रावधान है ;

(2) क्या यह बात सही है कि अनियमित रूप से मकान किराया भत्ता (एच0आर0ए0) के भुगतान किये जाने से एक ही विद्यालय में कार्यरत नियमित शिक्षक, शिक्षकेतर कर्मियों, विशिष्ट शिक्षकों, विद्यालय अध्यापकों और नियोजित शिक्षकों के वेतन में विसंगति के कारण उन्हें आर्थिक क्षति का सामना करना पड़ रहा है ;

(3) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार शिक्षकों को शहरी क्षेत्र के एच0आर0ए0 एवं समान कार्य के आधार पर वेतन एवं अन्य सुविधा देने का विचार रखती है, हाँ, तो कबतक, नहीं, तो क्यों ?

विचार करना

39. श्री राहुल कुमार (क्षेत्र संख्या-216 जहानाबाद)--क्या मंत्री, शिक्षा विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि--

(1) क्या यह बात सही है कि राज्य में 266000 नियोजित शिक्षकों को सक्षमता परीक्षा उत्तीर्ण होने पर विशिष्ट शिक्षक का दर्जा दिया गया है ;

(2) क्या यह बात सही है कि उक्त विशिष्ट शिक्षकों को प्रशिक्षित शिक्षक के रूप में किए गए कार्य अवधि की तिथि से सेवा निरंतरता का आर्थिक लाभ नहीं दिया जा रहा है ;

(3) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार विशिष्ट शिक्षकों को प्रशिक्षित शिक्षक के रूप में किए गए कार्य अवधि की तिथि से सेवा निरंतरता का आर्थिक लाभ देने का विचार रखती है, हाँ, तो कबतक, नहीं, तो क्यों ?

मध्याह्न भोजन

40. श्री इन्द्रजीत प्रसाद गुप्ता (क्षेत्र संख्या-75 सहरसा)--क्या मंत्री, शिक्षा विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि--

(1) क्या यह बात सही है कि राज्य में सरकारी विद्यालयों में मध्याह्न भोजन कलस्टर किचन के माध्यम से सुबह का बना खाना विद्यालयों में 12:00 बजे मध्याह्न से लेकर 2:30 बजे अपराह्न तक प्रदान किया जाता है, जिससे राज्य के लाखों छात्र ठंडा एवं गुणवत्ताहीन खाना खाने को मजबूर होते हैं ;

(2) क्या यह बात सही है कि पिछले छः माह पूर्व ही मध्याह्न भोजन बनाने वाले रसोइयों को मानदेय बढ़ाया गया है ;

(3) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो सरकार कबतक राज्य के विद्यालयों में बच्चों के लिए खाना विद्यालय प्रांगण के अन्तर्गत ही बनाने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

रिक्त पदों पर बहाली

41. श्री देवेशकान्त सिंह (क्षेत्र संख्या-111 गोरेयाकोठी)--क्या मंत्री, शिक्षा विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि बिहार राज्य के माध्यमिक और उच्च माध्यमिक विद्यालयों में विद्यालय कार्यालय सहायक और विद्यालय परिचारी के लिपिक संवर्ग नियमावली, 2025 तथा बिहार राज्य विद्यालय परिचारी संवर्ग के नियमावली के आलोक में नियुक्ति नहीं होने के कारण लगभग तीन हजार पद रिक्त है, यदि हाँ, तो क्या सरकार उक्त पदों पर बहाली कराने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

विशेष शिक्षकों की नियुक्ति

42. श्री मिथिलेश तिवारी (क्षेत्र संख्या-99 बैकुण्ठपुर)--क्या मंत्री, शिक्षा विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि--

(1) क्या यह बात सही है कि राज्य में मूक-बधिर और नेत्रहीन छात्र/छात्राओं की स्कूलों में पढ़ाई हेतु लम्बे समय से विशेष शिक्षकों की नियुक्ति सरकार द्वारा नहीं की गई है जबकि विगत 20 वर्षों से समावेशी शिक्षा के अन्तर्गत कार्यरत प्रशिक्षित विशेष शिक्षक निरंतर अपनी सेवाएँ दे रहे हैं ;

(2) क्या यह बात सही है कि राज्य सरकार ने विशेष विद्यालय अध्यापक के कुल 7279 पद सृजित किए है, जिनमें से 805 पदों को वर्तमान में कार्यरत अनुबंध आधारित संसाधन शिक्षकों हेतु सुरक्षित रखा गया है ;

(3) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार पूर्व से कार्यरत 805 विशेष शिक्षकों को प्रखंड साधन सेवी के पद पर समायोजित करते हुए सामान्य शिक्षक के समतुल्य वेतनमान एवं शेष 7279 पदों पर विशेष शिक्षकों की नियुक्ति कबतक कराने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

शिक्षा ऋण

43. श्री तारकिशोर प्रसाद (क्षेत्र संख्या-63 कटिहार)--दैनिक समाचार-पत्र में दिनांक 19 जनवरी, 2026 के अंक में प्रकाशित शीर्षक ''शिक्षा ऋण नहीं मिलने से 5 हजार विद्यार्थियों का नाम कटने का खतरा'' को ध्यान में रखते हुये क्या मंत्री, शिक्षा विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि चालू वित्तीय वर्ष 2025-26 में बिहार स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना अन्तर्गत राज्य के 5254 छात्र-छात्राओं के बैंक खाते में स्वीकृत राशि डी0बी0टी0 के माध्यम से स्थानांतरित नहीं हुई है, जिससे छात्र-छात्राओं का शैक्षणिक संस्थानों से नाम कटने का खतरा मंडरा रहा है, यदि हाँ, तो क्या सरकार छात्र-छात्राओं के खाते में बिहार राज्य शिक्षा वित्त निगम द्वारा स्वीकृत राशि डी0बी0टी0 के माध्यम से स्थानांतरित कराने का विचार कबतक रखती है, नहीं, तो क्यों ?

कार्य योजना बनाना

44. डॉ0 कुमार पुष्पंजय (क्षेत्र संख्या-170 बरबीघा)--दैनिक समाचार-पत्र में दिनांक 14 जनवरी, 2026 के अंक में छपी खबर के शीर्षक ''बिहार के छोटे शहरों की हवा ज्यादा जहरीली'' के आलोक में क्या मंत्री, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि--

(1) क्या यह बात सही है कि बिहार राज्य प्रदूषण नियंत्रण पर्षद द्वारा आई0आई0टी0, बी0एच0यू0 से कराये गये अध्ययन के रिपोर्ट में बताया गया है कि बिहार के छोटे शहरों में हवा लगातार प्रदूषित रह रही है, प्रदेश के दस शहरों की हवा में पार्टिकुलेट मैटर 2.5 की मात्रा बढ़ी हुई है ;

(2) क्या यह बात सही है कि बिहार के शहरों के खुले नालों से निकलने वाले अमोनियम गैस से वायु में पी0एम0 2.5 बन रही है जो हवा को प्रदूषित करती है जिससे लोगों का स्वास्थ्य प्रभावित हो रहा है ;

(3) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो प्रदेश के छोटे शहरों की जहरीली हवा के शुद्धिकरण की कार्य योजना को सरकार कबतक लागू कराना चाहती है, नहीं, तो क्यों ?

प्रभारी मंत्री--(1) अस्वीकारात्मक । बिहार राज्य प्रदूषण नियंत्रण पर्षद द्वारा पटना शहर के परिवेशीय वायु गुणवत्ता को बेहतर करने के लिये एक अध्ययन बनारस हिन्दु विश्व विद्यालय, बनारस से कराया जा रहा है । इसका दायरा मात्र पटना शहर एवं इसके आस-पास के क्षेत्र तक ही है । सूचित करना है कि बनारस हिन्दु विश्व विद्यालय द्वारा सौंपी गई अध्ययन का प्रारूप प्रतिवेदन में अन्य शहरों का उल्लेख नहीं है ।

केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, दिल्ली से प्राप्त आँकड़ों के अनुसार पिछले कुछ वर्षों के आँकड़ों की तुलना में राज्य के लगभग सभी शहरों में पार्टिकुलेट मैटर 2.5 यानि सूक्ष्म धूल कणों के स्तर में सुधार दर्ज की गई है ।

(2) अस्वीकारात्मक । नालों से निकलने वाली अमोनिया गैस वातावरण में सल्फर डॉयऑक्साईड से मिलकर सूक्ष्म धूल कणों (PM 2.5) में बढ़ोतरी करती है । बनारस हिन्दु विश्वविद्यालय द्वारा अभी इसका अध्ययन किया जा रहा है । अंतिम अध्ययन प्रतिवेदन प्राप्त होने पर इसकी पुष्टि की जा सकेगी ।

(3) उपर्युक्त प्रश्नों में दी गई जानकारी और साकारात्मक वायु गुणवत्ता रूझानों के आलोक में प्रश्न अस्वीकारात्मक है ।

समितियों का गठन

45. श्री सिद्धार्थ सौरव (क्षेत्र संख्या-191 बिक्रम)--क्या मंत्री, शिक्षा विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि पटना जिलान्तर्गत प्रखंड बिक्रम एवं नौबतपुर सहित पूरे राज्य के 7800 (सात हजार आठ सौ) विद्यालय में प्रबंध समिति का गठन नहीं होने से प्रभारी प्रधानाध्यापकों द्वारा सरकारी राशि का दुरूपयोग किया जा रहा है, यदि हाँ, तो सरकार कबतक राज्य में संचालित सरकारी विद्यालयों में प्रबंध समितियों का गठन कराने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

छात्रवृत्ति देना

46. श्री राणा रणधीर (क्षेत्र संख्या-18 मधुबन)--हिन्दी दैनिक समाचार-पत्र में दिनांक 28 जनवरी, 2026 को प्रकाशित शीर्षक "सत्यापन में देरी से 5.5 लाख की छात्रवृत्ति पर ग्रहण" को ध्यान में रखते हुये क्या मंत्री, शिक्षा विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि--

(1) क्या यह बात सही है कि आर्थिक रूप से कमजोर विद्यार्थियों को पैसे की तंगी के कारण पढ़ाई ना छोड़नी पड़े इसके लिए प्रवेशिकोत्तर छात्रवृत्ति योजना चलाई जा रही है ;

(2) क्या यह बात सही है कि प्रशासनिक सुस्ती के कारण सत्र 2024-25 और 2025-26 के प्रवेशिकोत्तर छात्रवृत्ति योजना के लिए आवेदन करने वाले पिछड़ा, अत्यंत पिछड़ा वर्ग और अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के 5.5 लाख विद्यार्थियों को राशि मिलने का इंतजार है ;

(3) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार उक्त सत्र के लिए किये गये आवेदनों का सत्यापन कर एक समय-सीमा के अन्दर छात्रवृत्ति का लाभ देने का विचार रखती है, हाँ, तो कबतक, नहीं, तो क्यों ?

विचार करना

47. श्री मिथिलेश तिवारी (क्षेत्र संख्या-99 बैकुण्ठपुर)--क्या मंत्री, युवा, रोजगार एवं कौशल विकास विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि--

(1) क्या यह बात सही है कि सन् 2016 में बिहार सरकार के कैबिनेट द्वारा स्वीकृति के उपरान्त 96 आई0टी0आई0 संस्थानों में नियमित नियुक्ति के शर्तों के अनुरूप लगभग 600 अतिथि अनुदेशकों की नियुक्ति की गई है ;

(2) क्या यह बात सही है कि अतिथि शिक्षकों की सूचिका संख्या 197/2024 वि0प्र0 303(5), दिनांक 22 मई, 2025 के द्वारा नियमित शिक्षकों की भाँति 60 वर्षों की आयु तक सेवा विस्तार का निर्णय लिया गया है ;

(3) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार राज्य में कार्यरत अतिथि अनुदेशकों की वेतनवृद्धि करते हुए नियमित सेवा में समायोजित करने का विचार रखती है, हाँ, तो कबतक, नहीं, तो क्यों ?

पटना :
दिनांक 17 फरवरी, 2026 (ई0) ।

ख्याति सिंह,
प्रभारी सचिव,
बिहार विधान सभा, पटना ।

बि0स0मु0 33(एल0ए0), 2025-26-डी0टी0पी0-550

अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय,
बिहार, पटना द्वारा मुद्रित
2026